।।सर्वभूतहिते रताः।।

स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट

परमार्थ निकेतन

पो० स्वर्गाश्रम-249 304 ऋषिकेश (हिमालय)

(आयकर अधिनियम एवं सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत मान्य)

फोन : (0135) 2434301, 2434302 फैक्स : 2440066

email: parmarth@parmarth.com website : www.parmarth.com

संस्थापक
ब्रह्मलीन
महामण्डलेश्वर
स्वामी शुकदेवानन्द
सरस्वती जी महाराज

चैयरमैन व
मैनेजिंग ट्रस्टी
परम पूज्य
महामण्डलेश्वर
स्वामी असंगानन्द
सरस्वती महाराज
वेदान्त साहित्याचार्य
एम० ए०

अध्यक्ष
पूज्य स्वामी चिदानन्द
सरस्वती महाराज
"मुनि जी"

ट्रस्ट द्वारा
संचालित सेवायें

अध्यात्म-गौशाला-गुरुकुल
संस्कृत महाविद्यालय
पुस्तकालय-चिकित्सालय
प्राकृतिक चिकित्सा
शिक्षा-योग-ध्यान

दिनांक : 10 जुलाई, 2021

सेवा में,

श्रीमान उप–निदेशक महोदय,
राजाजी टाईगर रिजर्व,
5/1 अंसारी मार्ग, देहरादून
<u>(उत्तराखण्ड)</u>

विषय– **Lease Renewal land of Swami Shukdevanand Trust, Parmarth Niketan, Tehsil Yamkeshwar, District Pauri Garhwal** के सम्बन्ध में। आनलाईन प्रस्ताव सं० – **FU/ UK/ Others/ 42571/ 2019.**

सन्दर्भ– आपका ई०डी०एस० पत्र संख्या 491/12–1 देहरादून दिनांकित 17 जून, 2021

मान्यवर,

आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 17 जून, 2021 के उत्तर में बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. आपके उक्त पत्र में प्रथम बिन्दु के रूप में यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या वर्ष 1999 से 2018 तक हमारे द्वारा विषयगत लीज का नवीनीकरण प्रस्ताव आपके कार्यालय में प्रेषित किया गया या नहीं? इस सम्बन्ध में हमारा स्पष्टीकरण इस प्रकार है –
विषयगत लीज की अवधि समाप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुरूप हमने लीज नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 08.11.1993 को ही प्रेषित कर दिया था, जो आपके कार्यालय में विधिवत उसी दिन अर्थात 08.11.1993 को ही प्राप्त भी किया गया है। इसी प्रार्थना पत्र के साथ हमने 13 आवश्यक दस्तावेजों को भी संलग्न किया था।
कृपया देखें – लीज नवीनीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 08.11.1993 **संलग्न--1** है।

यह प्रार्थना पत्र प्रेषित करने के बाद हमने लगातार आपके विभागों को लीज नवीनीकरण के लिए अनेकों स्मृति पत्र भेजे। यह स्मृति पत्र 28 जुलाई 99, 7 अगस्त 2000, 6 जून 2001, 5 सितम्बर 2002, 23 नवम्बर 2003, 8 अक्टूबर 2004, 9 जुलाई 2005, 10 सितम्बर 2006, 11 अगस्त 2007, 12 अक्टूबर 2008, 13 जुलाई 2009, 14 जून 2010, 15 सितम्बर 2011, 17 अगस्त 2012, 18 मई 2013, 19 जून 2014, 22 सितम्बर

2015, 25 मई 2016, 24 जुलाई 2017, 13 जुलाई, 2018 तथा 12 फरबरी 2019 आदि को भेजे गये थे।

उक्त स्मरण पत्रों के अतिरिक्त हमारे प्रतिनिधियों द्वारा आपके कार्यालय के विशिष्ट अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मिलकर एवं दूरभाष द्वारा भी लीज नवीनीकरण के लिए अनेकों बार प्रार्थनाएं की गयीं। हर बार आपके अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में हमें यह आश्वस्त किया कि लीज नवीनीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

इसके उपरान्त आपके कार्यालय से जारी पत्र दिनांक 01 जुलाई 2019 के द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि लीज नवीनीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव भारत सरकार के निर्देश पर ऑनलाईन किये गये हैं। इस पत्र के द्वारा हमें भी लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को ऑन लाईन प्रेषित करने के लिए कहा गया था।
कृपया देखें – उक्त पत्र दिनांक 01.07.2019 की प्रति इस पत्र के साथ **संलग्न–2** है।

तदनन्तर लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को ऑनलाईन करवा दिया गया तथा ऑनलाईन भेजे गये लीज नवीनीकरण प्रस्ताव दिनांक 16.11.2019 की तीन प्रतियां भी 23.11.2019 को आपके कार्यालय में प्राप्त करवा दी गयीं थीं।
लीज नवीनीकरण के ऑन लाईन प्रस्ताव दिनांक 16.11.2019 की प्रतिलिपि **संलग्न–3** के रूप में इस पत्र के साथ संलग्न है।

2. आपके विषयगत पत्र दिनांक 17 जून 2021 के बिन्दु संख्या 2 में यह स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि लीज अवधि समाप्ति (31.12.1978) से 30 वर्ष के लिए नवीनीकरण का अनुरोध है।

इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र निवेदन है कि 1993 में हमारे द्वारा लीज नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रेषित होने के बाद तथा उसके विचाराधीन रहते हुए लगभग 28 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, जब कि हमारे द्वारा वर्ष 2003 तक लीज रेंट भी जमा किया गया और लीज रेंट भी आपके विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है। हमारा विनम्र निवेदन है कि भविष्य की सुविधा को देखते हुए तथा जन हित में उपरोक्त लीज का नवीनीकरण 90 वर्षों के लिए किया जाये क्योंकि परमार्थ निकेतन संस्था द्वारा पूरे विश्व से आने वाले श्रद्धालु धार्मिक तीर्थयात्रियों को अनेक प्रकार की सेवायें तथा सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं, जिनका समय–समय पर शासन के द्वारा भी उल्लेख किया गया है।

3. आपके विषयगत पत्र दिनांक 17 जून 2021 के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि 1979 से आगे लीज नवीनीकरण का हमारा पत्र आपके कार्यालय में अप्राप्त है, परन्तु हमने वर्ष 2003 तक लीज रेंट का भुगतान कर दिया है। आपका प्रश्न यह है कि लीज नवीनीकरण किये बिना हमने लीज रेंट का भुगतान किस आधार पर किया है?

आपके इस प्रश्न के उत्तर में हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया उ0 प्र0 शासन के समय आपके विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.02.1995 का अवलोकन करें, जिसमें

यह स्वीकार किया गया है कि परमार्थ निकेतन स्नान घाट के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव आपके कार्यालय में प्राप्त हुए हैं और उन पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 (संशोधित 1992) के अनुसार औपचारिकतायें पूरी करने के लिए कार्यवाही चल रही हैं। इस परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि "इस लीज पर पुरानी दर पर बकाया लीज किराया वसूल करें।" आपके इस पत्र की प्रतिलिपि हमें प्रेषित करते हुए लीज किराया जमा करने का निर्देश दिया गया था। आपके इस पत्र दिनांक 08.02.1995 की अनुपालना में हमने 1999 से वर्ष 2003 तक की लीज किराया राशि रुपये 50/– प्रतिवर्ष के हिसाब से कुल रुपये 250/– आपके कार्यालय में जमा करवा दिये थे, जिसे स्वीकार करते हुए आपके कार्यालय ने बुक नं0 आर 117 तथा रसीद नं0 74 दिनांक 01.02.2000 जारी की थी।

पत्र दिनांक 08.02.1995 के छाया प्रति पुनः टाईप करके पठनीय बनने योग्य प्रति के साथ **संलग्न–4** के रूप में संलग्न है।

हमारे द्वारा वर्ष 2003 तक की जमा करवायी गयी लीज राशि की रसीद संख्या 74 दिनांक 01.02.2000 **संलग्न–5** है।

4. आदरणीय महोदय के संज्ञान में यह तथ्य लाना भी आवश्यक है कि परमार्थ निकेतन/स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट को प्रथम बार प्रश्नगत फॉरेस्ट लीज सन् 1953–54 में लैंसडाउन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा आवंटित की गयी थी। यह तथ्य श्रीमान् वन संरक्षक/ निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, पौड़ी गढ़वाल को लिखे गये पत्रांक 1814/12–1 देहरादून दिनांक 04.11.20219 तथा इस सम्बन्ध में हस्ताक्षरित लीज डीड से भलीभांति स्पष्ट है।
श्रीमान वन संरक्षक/निदेशक का उपरोक्त पत्र दिनांक 04.11.2019 एवं हस्ताक्षरित लीज डीड **संलग्नक–6** है।

5. उक्त तथ्यों के अतिरिक्त एक विशेष तथ्य भी आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है कि वन विभाग तथा राजस्व विभाग की संयुक्त जाँच रिपोर्ट में परमार्थ निकेतन (स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट) के नाम वन विभाग द्वारा स्नान घाट एवं पूजन आदि के लिए 2.3912 एकड़ क्षेत्रफल बन्दोबस्त 1959–60 में राजस्व अभिलेखों में भवन, घाट, मन्दिर, बगड़, नदी, सीढ़ी आदि के रूप में गैर जमींदारी विनाश क्षेत्र (Non Z A Khatauni) के श्रेणी 10 के अन्तर्गत खसरा नं0 100 से 108 के रूप में अंकित है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि पर जो मकान एवं स्नानागार का निर्माण किया गया है, वह वन विभाग की अनुमति से एवं हाल बन्दोबस्त से पूर्व किया गया है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि वादग्रस्त भूमि बन्दोबस्त से पूर्व वन विभाग के अभिलेखों में उनके नियन्त्रण में थी व हाल बन्दोबस्त में राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज हो गयी है। इसीलिए आपके विभाग के अधिकारी हमें बार–बार यह आश्वासन देते रहे कि लीज नवीनीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि परमार्थ निकेतन घाट की लीज रेंट का भुगतान स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट के द्वारा राजस्व विभाग को भी किया

जाता रहा है। इतना ही नहीं, अपितु उपरोक्त लीज भूमि को फ्री होल्ड करवाने की प्रक्रिया भी शासन के कार्यालयों में चल रही है।

लीज रेंट की रसीद संख्या **D 149 019** तथा **715759** इस पत्र के साथ संलग्न–7 है।

आशा है हमारे उक्त स्पष्टीकरण से आपके समक्ष सम्पूर्ण वास्तविक स्थित स्पष्ट हो गयी होगी।

इस स्पष्टीकरण के साथ हमारा पुनः यह विनम्र निवेदन है कि विषयगत लीज का नवीनीकरण जिस विभाग द्वारा भी होना है, उसे भविष्य में 90 वर्षों के लिए करने की महती कृपा करें।

सधन्यवाद,

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्त

(राम अनन्त तिवारी)
प्रबन्धक, परमार्थ निकेतन,
स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट,
पोस्ट–स्वर्गाश्रम, जिला गढ़वाल

A-I

सर्वभूतहिते रता:

संस्थापक

ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर
परमपूज्य श्री स्वामी शुकदेवानन्द
सरस्वती जी महाराज

परमार्थ निकेतन

स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट
द्वारा संचालित
पो० स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश – 249304, भारत
दूरभाष (01364) 30023 • 30253 • 30693 फैक्स (01364) 31666
यह ट्रस्ट आयकर एवं सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत मान्य है

प्रबन्ध-न्यासी

महामंडलेश्वर
परमपूज्य श्री स्वामी असंगानन्द
सरस्वती जी महाराज

अध्यक्ष : परम पूज्य श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी महाराज "मुनिजी"

धर्म, संस्कृति, सदाचार, राष्ट्रीय सद्भावना, मानवीय मूल्यों के उन्नयन, दैवी संपत्ति के गुण, योगासन, प्राणायाम आदि के प्रचार हेतु समर्पित एक आध्यात्मिक संस्थान

8 नवम्बर, 1993

सेवा में:

वन संरक्षक

राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून

(18)

विषय: परमार्थ निकेतन ऋषिकेश को स्वर्गाश्रम के निकट गंगा तट के पास 2-3912 एकड़ लीज नवीनीकरण प्रस्ताव विषयक

महोदय,

निवेदन है कि परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश को स्वर्गाश्रम के निकट गंगा तट के पास 2-3912 एकड़ वन भूमि स्नानघाट (भाग) व (36×70) भाग पुस्तकालय एवं वाचनालय के लिए गोहरी रेंज के विदासनी कक्ष 3 लैंसडोन वन प्रभाग से (अब हस्तान्तरित राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून) में शासनादेश सं• 2318/14-2-671/55 दि• 13•11•1975 द्वारा 1 जनवरी, 1964 से 50/-रु• वार्षिक किराये पर 15 वर्ष के लिए यहाँ पर स्वीकृत हुयी थी।

प्रश्नगत लीज वन भूमि कथित प्रयोजनार्थ प्रयोग की हुई है, इस लीज के नवीनीकरण के लिए विगत वर्षों में प्रार्थना की गयी थी किन्तु भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही की अपेक्षा में नवीनीकरण प्रस्ताव में वांछित दस्तावेजों की कमी के कारण नवीनीकरण की कार्यवाही लम्बित रही।

सर्वभूतहिते रताः

परमार्थ निकेतन

स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट

द्वारा संचालित

पो० स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश - 249304, भारत

दूरभाष (01364) 30023 • 30253 • 30693 फैक्स (01364) 31666

यह ट्रस्ट आयकर एवं सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत मान्य है

अध्यक्ष : परम पूज्य श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी महाराज "मुनिजी"

धर्म, संस्कृति, [illegible] मानवीय मूल्यों के उत्थान, दैवी संपत्ति के गुण, योगासन, प्राणायाम आदि के प्रचार हेतु [illegible]

[illegible] अब भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र तथा उसके [illegible] के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे कि कृपया प्रश्नगत [illegible] [illegible] करने की कृपा करें।

प्रमाणित किया जाता है कि कथित [illegible] के अंतर्गत निर्मित [illegible] को उपलब्ध है तथा यह जनहित एवं धार्मिक [illegible] है।

भवदीय,

[हस्ताक्षर]

(राम [illegible] तिवारी)

प्रबन्धक

परमार्थ निकेतन [illegible]

[illegible]

Recd
[illegible]
[illegible]/11/93

([illegible])

--3--

[illegible] राष्ट्रीय पार्क

देहरादून।

सर्वभूतहिते रताः

परमार्थ निकेतन

स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट

द्वारा संचालित

पो० स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश – 249304, भारत

दूरभाष (01364) 30023 • 30253 • 30693 फैक्स (01364) 31666

यह ट्रस्ट आयकर एवं सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत मान्य है

अध्यक्ष : परम पूज्य श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी महाराज "मुनिजी"

धर्म, संस्कृति, सदाचार, राष्ट्रीय [illegible], मानवीय मूल्यों के उत्थान, दैवी संपत्ति के गुण, योगासन, प्राणायाम आदि के प्रचार हेतु समर्पित एक आध्यात्मिक संस्थान

संलग्न:

1• वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के प्रमाणपत्र
2• [illegible] द्वारा बाजार मूल्य का प्रमाणपत्र
3• जिलाधिकारी का वैकल्पिक भूमि का प्रमाणपत्र
4• संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट
5• न्यूनतम वन भूमि की मांग का प्रमाणपत्र
6• [illegible] मूल्य मान्यता का प्रमाणपत्र
7• [illegible] 1986 के अनुसार वनीकरण प्रस्ताव का प्रमाणपत्र
8• [illegible] 1314/14-6-1980/82 दी•सी•31•12•82 की शर्तों का प्रमाणपत्र
9• [illegible] द्वारा दिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्र
10• मानक [illegible] प्रमाणपत्र
11• मानचित्र 1:50000 के पैमाने पर निकटतम आरक्षित वन भूमि [illegible]
12• भूमि [illegible] का [illegible] का प्रमाणपत्र [illegible]
13• वन भूमि के स्थान पर निर्माण किये गये कार्य का [illegible]

A-2

01352621669, फैक्स : 0135 2620933, e mail: director.rajaji@gmail.com

कार्यालय–निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।

5/1, अन्सारी मार्ग, देहरादून, 248001.

पत्रांकः 12 / 12-1 देहरादून, दिनांकः ~~जून~~ 01-07- 2019

सेवा में,

श्री राम अनन्त तिवारी,
प्रबन्धक परमार्थ निकेतन,
स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट,
परमार्थ निकेतन पो0–स्वर्गाश्रम,
ऋषिकेश।

विषयः– परमार्थ निकेतन (स्वर्गाश्रम) को गंगा तट पर स्वीकृत 2.3912 वन भूमि लीज का नवीनीकरण।

सन्दर्भः– आपका पत्र दिनांक 20.06.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराया जाता है कि भारत सरकार द्वारा लीज नवीनीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव/आवेदन ऑनलाईन करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आप विषयक लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को ऑनलाईन अपलोड करना चाहें।

प्राप्त 3/7/19

(पी0के0पात्रो)
निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून।

E:\draftsman\draftsman Letter\draftsman letter 1.docx

rajajinationalpark.co.in

A-3

Wild Life Report

Form for seeking recommendation of Standing Committee of NBWL/SBWL.

PART - I & II

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

(i). Forest Clearance Required?: Yes

(a).Forests Clearance Type : Fresh

(ii). Proposal No. : FP/UK/Others/42571/2019

(iii). Name of Project: Lease Renewal of Swami Shukdevanand Trust- Parmarth Ganga Ghat, Tehsil Yamkeshwar, District Pauri Garhwal

(iv). Short narrative of the Project : The Parmarth Ganga Ghat was leased to Swami Shukdevanand Trust in 1964 for the construction of bathing Ghat. The Ghat serves as a source of great inspiration, promotion of spiritual/wellness tourism and connection with the River Ganga for millions of pilgrims from across India and around the world.

(v). State : Uttarakhand

(vi). Category of the Project : Others

(vii). Shape of project land : Non Linear

(viii). Distance of the project from the boundary of the Protected Area (in km.): 0

(ix). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 200

(x). Total period for which clearance is required (in year): 30

(xi). Total Project Area(in ha.): 0.97

(xii). Area of Forest Land required for this Project(in ha.): 0.97

(xiii). Non-Forest Land required for this Project (in ha.): 0

(xiv). Forest Land within Protected Area(in ha.): 0.97

A-2. Details of User Agency

(i). Name : SWAMI SHUKDEVANAND TRUST

(ii). Address1 : Parmarth Niketan, PO Swargashram, Rishikesh, Uttarakhand

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Uttarakhand

(v). District : Pauri Garhwal

(vi). Pin : 249304

(vii). Landmark : Ram Jhula

(viii). Email address : ganganandini108@gmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 2440077

(x). Fax No. : 2440066

(xi). Mobile No. : 7579029225

(xii). Website (if any) : www.parmarth.org

(xiii). Legal status of User Agency : Private

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Ram

(ii). Middle Name: Anant

(iii). Last Name: Tiwari

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Manager

(vi). Address 1: Parmarth Niketan, PO Swargashram, Rishikesh, Uttarakhand

(vii). Address 2: NIL

(x). Pin: 249304

(xi). Landmark: Ram Jhula

(xii). Email Address: ganganandini108@gmail.com

(xiii). Landline Telephone No.: 2440077

(xiv). Fax No.: 1352440066

(xv). Mobile No.: 7579029225

(xvi). Upload a copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: Annexure copy of documents in support of the competence

B. Details of Land required for the Project

B-1. Details of Protected Area

B-1.1 No. of Divisions involved in Protected Area

Division wise details of land			
S.no	**Division Name**	**Protected Area Name**	**Project Area under Protected Area**
1.	Rajaji National Park Division	Rajaji National Park	0.97

B-1.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	**District Name**	**Project Area under Protected Area(ha.)**	**Project Area under Non-Protected Area(ha.)**
1.	Pauri Garhwal	0.97	0

B-1.3 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	**Component**	**Project Area under Protected Area(ha.)**	**Project Area under Non-Protected Area(ha.)**
1	Ghat	0.97	0

C. Maps of protected area

Division 1. : Rajaji National Park Division

(i). Project Area under Protected Area (in ha.) : 0.97

1.	0		View File

(iv). copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of protected area: Annexure Survey of India Toposheet

(v). scanned copy of the Geo-referenced map of the protected area prepared by using DGPS or Total Station: Annexure scanned copy of the Geo-referenced map

D. Justification for locating the Project in protected area and details of alternates examined :

(i). copy of note containing justification for locating the Project in protected area: Annexure Justification

E. Employment likely to be generated

(i). Whether project is likely to generate employment ?: Yes

(a). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 5

(b). Temporary Employment(Number of person-days): 365

F. Displacement of People due to the project, if any

(i). Whether project involve displacement?: No

G. Status of Environmental clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

H. Whether proposal is for investigation/survey

(H-1). Whether proposal is for investigation/survey? : No

(H-2). Details of the Bio diversity Impact Assessment report in case the proposal involves use of more than 50 ha. NP/WLS.

(a).Copy of the Bio diversity Impact Assessment report: Annexure Copy of Bio diversity Impact Assessment report

(H-3). Information on the projects undertaken by the proponent agency in the past in Protected Areas

(a).Upload file: Annexure Information on the projects undertaken by the proponent agency in the past in Protected Areas

(H-4). Details regarding compliance of the conditions on each proposal

(a).Upload file: Annexure Details regarding compliance of the conditions on each proposal

A-4

कार्यालय वन संरक्षक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, उ0प्र0, देहरादून ।

पत्रांक: 1338/4-4-1 , दिनांक, देहरादून 8/2-:1995:

सेवा में,

[illegible]

विषय:- राजाजी राष्ट्रीय पार्क में विद्यमान लीजों के नवीनीकरण एवं लीज किराया वसूली विषयक ।

आपके अधीनस्थ निम्नलिखित लीजों के नवीनीकरण प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुए हैं जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 संशोधित 1992 के प्राविधानानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के लिए कार्यवाही कार्यान्वयन में है । इन लीजों में अधिकांशत: ऐसी लीजें हैं जिनका पुरानी दर पर लीज किराया भी बकाया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है ।

अत: इस परिप्रेक्ष्य में आपको आदेशित किया जाता है कि आप इन लीजों का पुरानी दर का बकाया लीज किराया वसूल कर लीज किराया वसूली की प्रगति अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें । लीज किराया वसूली से पूर्व इन सभी लीजधारकों को संलग्न प्रारूप में 5/-रु0 के स्टाम्प पेपर पर लिखित सहमति प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए । यह लिखित सहमति नोटरी से प्रमाणित होनी अनिवार्य है । ~~इस संबंध में यह भली~~ प्रकार ध्यान रखा जाए कि बिना लिखित सहमति के किसी भी लीजधारक से लीज किराया न वसूल किया जाए और न ही तदनुसार ई-3 रसीद जारी की जाए ।

इस संदर्भ में यह भी निर्देशित किया जाता है कि यह लिखित सहमति किसी भी कार्यदिवस में भी विलम्ब बन्द, सामान्य विधिक को तौर करके उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लीजधारक आपको प्रस्तुत करेंगे और तदोपरांत ही लीज किराया वसूली की कार्यवाही की जाए व तदनुसार ई-3 रसीद जारी की जाए ।

लीज नं:-

1. प्रबंधक, मनसादेवी मंदिर ट्रस्ट की 0-035 एकड़ लीज
2. महर्षि [illegible] आश्रम मोतीचूर की 4 एकड़ लीज
3. [illegible] आश्रम की 804 वर्ग फुट लीज

[illegible]

[illegible]:-

1. कैलाशानंद मिशन की [illegible] की [illegible] की जाँच ।
2. कैलाशानंद मिशन की भूमि की जाँच ।
3. कैलाशानंद मिशन की [illegible] की जाँच ।
4. कैलाशानंद मिशन की [illegible] की [illegible] की जाँच ।
5. परमार्थ निकेतन की [illegible] की जाँच ।

संलग्न:- लिखित शिकायत की प्रति ।

([illegible])
[illegible]
[illegible], देहरादून ।

प्रतिलिपि प्रबंधक परमार्थ निकेतन, गीताभवन ऋषिकेश
को सूचनार्थ एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित [illegible] जाँच [illegible] लिखित शिकायत का [illegible] [illegible] [illegible] किया जाता है [illegible] [illegible] के आधार पर [illegible] में [illegible] करना सुनिश्चित करें । इस संबंध में यह भी उल्लेख करना है कि यदि [illegible] [illegible] लिखित शिकायत [illegible] [illegible] आपके पास [illegible] होना चाहिए ।

([illegible])
[illegible]
[illegible], देहरादून ।

[illegible]

ANN. 4

सेवा में,

भू संपदा,
राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून

विषय- लीज किराया जमा करने संबंधी लिखित सहमति ।

महोदय,

आवेदक/प्रार्थी को राजाजी राष्ट्रीय पार्क के.........रेंज में ......ग्राम के खसरा नं.......में..................हेक्टे......भूमि लीज पर स्वीकृत था । जिसकी लीज अवधि समाप्त हो गई है इसकी पुनः वन संरक्षण अधिनियम 1980 संशोधित 1988 के निर्देशों के अनुरूप नवीनी-करण हेतु आवेदन किया हुआ है ।

प्रस्तुत लीज के संबंध में मैं आपके अपेक्षानुसार लिखित सहमति देता हूं कि यदि शासन द्वारा प्रस्तावित लीज नवीनीकरण के उपरान्त लीज किराया में बढ़ोतरी ~~होती है तो उसे मैं परिवाद के रूप में~~ भविष्य में जमा करने के लिए बचनबद्ध हूं तथा जो भी शासन द्वारा नया लीज किराया निर्धारित होता है, मैं प्रस्तुत लीज के संबंधित सभी बकाया लीज किराया जल्द जमा कर दूंगा ।

लीजधारक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता
लीज धारक

प्रबन्धक [illegible] (गीता भवन) [illegible] का [illegible], राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून के पत्रांक 1235/4-1, दिनांक [illegible].2.03 द्वारा [illegible] किराया जमा करने के संबंध में [illegible] पर [illegible] की रौशनी [illegible] की गई।

[illegible]

[illegible]

राजाजी राष्ट्रीय पार्क,

देहरादून।

[illegible]

राजाजी राष्ट्रीय पार्क

देहरादून

पठनीय प्रति

कार्यालय वन संरक्षक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, उ0 प्र0, देहरादून।
पत्रांक 1338, 44–1, दिनांक 8.2.1995
सेवा में,

राजि अधिकारी,
गौहरी व हरिद्वार

विषय : राजाजी राष्ट्रीय पार्क में विभाग लीजों के नवीनीकरण एवं लीज किराया वसूली विषयक:

आपके अधीनस्थ निम्नलिखित लीजों के नवीनीकरण प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 (संशोधित) 1992 के प्राविधानानुसार आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करने के लिए कार्यवाही कार्यान्वयन में है। इन लीजों में अधिकांशतः ऐसी लीजें हैं, जिनका पुरानी दर पर लीज किराया भी बकाया है, जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

अतः इस परिप्रेक्ष्य में आपको आदेशित किया जाता है कि आप इन तीनों का पुरानी दर का बकाया लीज किराया वसूल कर लीज किराया वसूली की प्रगति आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। लीज किराया वसूली के पूर्व इन सभी लीजधारकों को संलग्न प्रारूप में 5/– रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित संस्तुति प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। यह लिखित सहमति नोटरी से प्रमाणित होनी अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में यह भली प्रकार ध्यान रखा जाए कि बिना लिखित सहनति के किसी भी लीजधारक से लीज किराया न वसूल किया जाए और न ही तद्नुसार ई–3 रसीद जारी की जाए।

इस संदर्भ में यह भी निर्देशित किया जाता है कि यह लिखित सहमति किसी भी कार्य दिवस में भी किशन चन्द, सामान्य लिपिक को सौंप करके उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लीजधारक आपको प्रस्तुत करेंगे और तदोपरांत ही लीज किराया वसूली की कार्यवाही की जाए व तद्नुसार ई–3 रसीद जारी की जाए।

हरिद्वार रेंजः—

1. प्रबन्धक, मनसा देवी मन्दिर शौचालय की 0.055 एकड़ लीज
2. महर्षि दूधाधारी बर्फानी आश्रम गौशाला की 4 एकड़ लीज
3. सेक्रेटरी भौलागिरि आश्रम की 80.4 लीज
4. मौनी बाबा की 170 व0 फु0 की लीज
5. पंचमुखी हनुमान मन्दिर

गोहरी ~~हरिद्वार~~ रेंजः—

1. कैलाशानन्द मिशन की प्राकृतिक चिकित्सालय की 2 एकड़ वन भूमि की लीज।
2. कैलाशानन्द मिशन की गूल की लीज
3. कैलाशानन्द मिशन की पाइप लाईन की लीज
4. कैलाशानन्द मिशन की पानी की टंकी की लीज
5. परमार्थ निकेतन की स्नान घाट की लीज

संलग्न :— लिखित सहमति का प्रारूप।

(मुहम्मद उस्मान)
वन संरक्षक
राजाजी राष्ट्रीय पार्क
उ0 प्र0 देहरादून

प्रतिलिपि प्रबन्धक परमार्थ निकेतन, गीता भवन, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित। लीज किराया संबंधी लिखित सहमति का प्रारूप ~~777-77~~ के संलग्न कर प्रेषित किया जाता है जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्र0 का0 में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि आप जिस स्टाम्प पेपर पर लिखित सहमति देंगे वह स्टाम्प विक्रेता द्वारा .... आपके नाम अंकित होना चाहिए।

(मुहम्मद उस्मान)
वन संरक्षक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क
उ0 प्र0 देहरादून

सेवा में,

वन संरक्षक

राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून

....

विषय : लीज किराया जमा करने सम्बन्धी लिखित सहमति

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को राजाजी राष्ट्रीय पार्क के ....राजि में ....ब्लाक के क्रम सं0 ....में..................................हेतु...............क्षेत्र लीज पर स्वीकृत था। जिसकी लीज अवधि समाप्त हो गई है, जिसके लिए मैंने वन संरक्षक अधिनियम 1980 (संशोधित 1992) के निर्देशों के अनुरूप नवीनी–करण हेतु आवेदन किया हुआ है।

प्रश्नगत लीज के संबंध में मैं आपके आदेशानुसार लिखित सहमति देता हूँ कि यदि शासन द्वारा प्रश्नगत लीज नवीनीकरण के उपरान्त लीज किराया में बढ़ोत्तरी होती है तो उसे मैं एरियर के रूप में भविष्य में जमा करने के लिए वचनबद्ध हूँ तथा जैसे ही शासन द्वारा बढ़ा लीज किराया निर्धारित होता है, मैं प्रश्नगत लीज से संबंधित सभी बकाया लीज किराया एकमुश्त जमा कर दूंगा।

लीज धारक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

सील सहित

प्रतिलिपि

प्रबन्धक परमार्थ निकेतन, गीता भवन, ऋषिकेश से वन संरक्षक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून के पत्रांक 1338/44–1, दिनांक 8.2.1995 द्वारा वांछित लीज किराया जमा करने के संबंध में 5/– के स्टाम्प पेपर पर लिखित सहमति को नोंटरी द्वारा प्रमाणित है, मूल में प्राप्त की गई।

(किशन चन्द्र)
सामान्य लिपिक
राजाजी राष्ट्रीय पार्क,
उ0 प्र0 देहरादून

कार्यालय वन संरक्षक
राजाजी राष्ट्रीय पार्क
देहरादून

A-5

Chief Conservator of Forest, Wild Life &
Chief Wild Life Warden, U.P. Lucknow

"वन्य जन्तु"

117 FORM NO. E-3 *Dated* 1-2-2000

Book No. R *Serial No.* 74

RECEIVED From व्यास्थापक परमार्थ निकेतन (स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट)

the sum of Rupees 250/- (250 दो सौ पचास मात्र)

on account of लीज रेन्ट स्नानघाट 1/99 से 1/12/2003 तक

Date 1-2- ~~199~~ 2000

(Signature) 1/2/2000

For वन क्षेत्राधिकारी
गोहरी रेंज

A-6

कार्यालय, वन संरक्षक / निदेशक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड.
5/1, अन्सारी मार्ग, देहरादून 248001

पत्रांक: 1814 / 12-1 देहरादून, दिनांक, 04-11-2019.

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

विषय : पी0आई0एल0 सं0 0117/2019 विवेक शुक्ला बनाम मुनी चिदानंद व अन्य में भूमि पैमाइश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 889/29–न्याय एवं विधि–2019 पौड़ी दिनांक 05.10.2019 एवं दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा वर्ष 1953-54 में सुखदेवानन्द परमार्थ निकेतन ट्रस्ट को 3.3942 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित की गयी थी। वर्तमान में यह क्षेत्र राजाजी राष्ट्रीय पार्क के टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। सुखदेवानन्द परमार्थ निकेतन ट्रस्ट द्वारा लीज नवीनीकरण हेतु आनलाइन आवेदन किया गया है। वर्तमान में लीज नवीनीकरण की कार्यवाही गतिमान है। जिस भूमि पर लीज की कार्यवाही गतिमान है उस भूमि पर वर्तमान में ट्रस्ट, मन्दिर भवन, धण्टाघर, एस.टी.पी. आदि बना है।

अतः तद्नुसार आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(पी0 के0 पात्रो)
वन संरक्षक / निदेशक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड देहरादून।

NOTARY
NOTARY PUBLIC
GOVT. OF U.K. RCH

Sworn & Verified the Deponent Before me 11-12-19 ... at Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxwDsFbCCvrNCldGWtzdSVmbxRhR?projector=1&messagePartId=0.1

711C

303

52

कार्यालय वन संरक्षण / निदेशक
राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून उत्तराखण्ड

पत्रांक 1814/12—1 देहरादून दिनांक 04—11—2019.12.09

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौडी गढवाल।

विषय :— पी0 आई0 एल0 स0 0177/2019 विवेक शुक्ला बनाम मुनी चिदानन्द व अन्य में भूमि पैमाईश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 889/29—न्याय एवं विधि—2019 पौडी दिनांक 05.10.2013 एवं दिनांक 25 अक्टूबर 2019 का सन्दर्भ गहण करने का कष्ट करें। पत्र के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार द्वारा वर्ष 1953—54 में सुखदेवानन्द परमार्थ निकेतन ट्रस्ट को 2.3912 एकड भूमि लीज पर आवंटित की गयी थी। वर्तमान में यह क्षेत्र राजाजी राष्ट्रीय पार्क के टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। सुखदेवानन्द परमार्थ निकेतन ट्रस्ट द्वारा लीत नवीनीकरण हेतु आनलाइन आवेदन किया गया है वर्तमान में लीज नवीनीकरण की कार्यवाही गतिमान है जिस भूमि पर लीज की कार्यवाही गतिमान है उस भूमि पर वर्तमान में घाट मन्दिर, भवन, घण्टाघर एस0 टी0 पी0 आदि बना है।

अतः उक्तानुसार आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

पी0 के0 पात्रो
वन संरक्षक/ निदेशक
राजाजी टाइगर रिजर्व
उत्तराखण्ड देहरादून।

Sworn ... Deponent Before me 11-12-19 ... M.P.M. at Pauri ... (U.K.)

Narendra ... Negi
Advocate/Notary Public

272

यह पट्टानामा [illegible] [illegible] माह [illegible] १९५७ [illegible]

न्यायाधीश महोदय [illegible] ई० श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश

की ओर से, एक पक्ष व दूसरी पक्ष मैनेजर श्री [illegible]

(हिमालय) [illegible] जिला देहरादून (जो आगे पट्टेदार के नाम से पुकारे

जायेंगे जिस शब्द में उनके उत्तराधिकारी प्रबन्धक, कार्यकर्ता और यही

सम्मिलित हैं) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर निष्पन्न हुआ:-

१- श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश जो कि आगे से पट्टादाता के

के नाम से पुकारे जायेंगे और जिन शब्दों में उनके उत्तराधिकारी और प्रबन्धक

सम्मिलित हैं पट्टेदार को एक टुकड़ा जमीन जिसका क्षेत्रफल ०.२१६१३

एकड़ [illegible] संख्या [illegible] रेन्ज, [illegible] फॉरेस्ट

डिवीजन पर स्थित है (२७) रुपया वार्षिक लीज पर स्नान घाट निर्माण

हेतु दिनांक —पहली— माह —जनवरी— १९[illegible] [illegible] वर्ष

के लिए जो वन विभाग सरकारी आदेश संख्या २३५७/१४-३/१९५६

दिनांक २२ जून १९५६ के द्वारा स्वीकृत की गई है, प्रदान करते हैं जिस भूमि

का आकार नीचे दिया गया है ———————— और वर्ण

[illegible] रेन्ज के साथ [illegible] फारेस्ट

[illegible] एक्ट के अन्तर्गत प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है।

२- पट्टाधारी उक्त भूमि पर [illegible] घाट [illegible]

के स्नान एवं पूजा के लिए [illegible]

३- पट्टाधारी उक्त लिखित भूमि के ऊपर [illegible]

मकान व अन्य कोई [illegible] नहीं बनायेगा। यदि उक्त स्थान पर किसी

पट्टाधारी ने अपनी [illegible] के लिए [illegible] इमारत [illegible]

स्वीकृत [illegible] इमारत [illegible] आदेश

और पट्टेदार को यह आवश्यक होगा कि [illegible] इमारत [illegible] पर

रखें नहीं तो पट्टा देने वाले को अधिकार होगा कि वे उस पट्टे को रद्द कर

दें और उक्त लिखित इमारत को फिर से पट्टे पर दूसरे आदमी [illegible]

स्वीकृत कर देवें।

४- पट्टाधारी उक्त लिखित भूमि को [illegible] पट्टा देने वाले को

शान्ति पूर्वक छोड़ देगा और यह स्वीकार करता है कि [illegible]

[illegible] या कोई [illegible] अधिकार [illegible]

इस जमीन के छोड़ने में हुआ तो उसको उसे [illegible] अधिकार न होगा।

५- पट्टाधारी को एक माह [illegible] के अन्दर

वह अपनी [illegible] उठा सकता है। [illegible] को [illegible]

यथा स्थान पड़ा हुआ रह जाय [illegible] सम्पत्ति समझी जावेगी

जिसका पट्टा देने वाले जिस तरह [illegible] किया जा सकेगा

है।

(278)

(27)

-: २ :-

६- यदि कोई हानि सरकारी भूमि या कोई दूसरी चीजों को जो पट्टादेने वाले के अधिकार में हो पट्टाधारी या उसके आदमियों से पहुँचे, चाहे वह किसी कारण से हो उसका उत्तर दायीत्व पट्टाधारी पर होगा। क्षति की दशा में पट्टाधारी को वह कीमत मावजे के रूप में देनी होगी, जिसको पट्टा देने वाले निश्चित करेंगे जो पचास रुपये से अधिक न होगी और उनको यह भी अधिकार होगा कि वे इस पट्टे को जिसका उल्लेख उक्त लिखित अनुच्छेद संख्या १ में हो चुका है भविष्य के लिए रद्द कर देवें।

७- पट्टाधारी यह इकरार करता है कि जब कभी पट्टादेने वाले इस जमीन को वापस मांगे और जितने समय के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता हो तब तक यह जमीन सरकारी काम के लिए पट्टादेने वाले के अधिकार में रहेगी।

८- यदि इस पट्टे की किसी शर्त पर किसी प्रकार का झगड़ा पैदा हो जाय तो श्रीमान कन्जरवेटर महोदय, पश्चिमी वृत, उत्तर प्रदेश, नैनीताल का निर्णय अन्तिम समझा जायेगा।

९- वन विभागीय या दूसरे नियमों का उल्लंघन करने पर पट्टाधारी या उसके कारिन्दे या उसके आदमी अदालती कार्यवाही से, किसी भी दशा में बरी नहीं होंगे।

१०- उक्त जमीन पर पट्टाधारी मन्दिर अथवा अन्य पूजा घर न स्थापित करेंगे और न बनायेंगे।

११- यदि इस पट्टे पर सरकारी टिकट लगाया गया तो पट्टाधारी को उसकी कीमत देनी होगी।

इसके प्रमाण के रूप में श्रीमान वनाधीश, देहरादून वन खण्ड ने श्री राज्यपाल महोदय, उ० प्र० की ओर से और पट्टाधारी मैनेजर श्री परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने इस पट्टदान पर अपने २ हस्ताक्षर पूर्व लिखित दिन और वर्ष को कर दिए हैं।

ह० पट्टाधारी

वनाधीश, देहरादून वन खण्ड।

ह० राज्यपाल की ओर से।

साक्षी १-

२-

फार्म-११

8/12/19

Sworn ... before me ... 11-12-19 ...

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

T.C (279) (28)

यह पट्टवान आज दिनांक 23 फरवरी माह 1957 श्रीमान् वनाधीश महोदय लैन्सडौन वन प्रभाग /श्री राज्यपाल महोदय उ0 प्र0 की ओर से एक पक्ष व दूसरे पक्ष मैनेजर श्री परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम हिमालय ऋषिकेश जिला देहरादून जो आगे पट्टेधारी के नाम से पुकारे जावेंगे जिन शब्दों में उनके उत्तराधिकारी प्रबन्धक कार्यकर्ता ओर वलि सम्मिलित है के मध्य निम्नलिखित शर्तो पर निष्पन हुआ।

1- श्री राज्य पाल महोदय उ0 प्र0 जो कि आगे से पटटा देने वाले ससम्मिलित है। पट्टेदार को एक टुकडा जमीन जिसका क्षेत्रफल 2.3912 एकड विदासिनी ब्लॉक कम्पार्टमेन्ट संख्या 3 गौहरी रैंज लैन्सडौन फारेस्ट डिविजने पर स्थित है। 10 रूपया वार्षिक लीज पर स्नानाघाट निमार्ण हेतु दिनांक पहली माह जनवरी 1957 से 5 वर्ष के लिए जो कि वन विभाग सरकारी आदेश संख्या 2387 / 14-671 /1956 दिनांक 22 जून 1956 के द्वारा स्वीकृत की गयी है। इस शर्त पर कि भूमि का लगान जो निर्धारित दिया गया है.................. ....हर वर्ष रेंज आफिसर गौहरी रैंज के पास जमा किया जावे एत्द द्वारा गर्वरमेन्ट ग्रान्टस एक्ट के अन्तर्गत प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है।

2- पटटाधारक उक्त भूमि पर जो स्नानघाट बनवायगा वह जन साधारण के स्नान एवं पूजन के लिए बिना रोकटोक खुला रहेगा।

3- पटटाधारी उक्त लिखित भूमि के उपर कोई पक्की ईमारत जैसे मकान व अन्य रहने योग्य स्थान नही बनायेगा। यदि उक्त स्थान पर किसी पटटाधारी ने अपनी जान व माल की हिफाजत के लिऐ पक्की ईमारत बिना स्वीकृति बना दी हो तो ऐसी पक्की ईमारत सरकार की ही समझी जायेगी। और पटटेदार को यह आवश्यक होगा कि इस ईमारत को अच्छी हालत पर रखे नही तो पटटा देने वाले को अधिकार होगा कि वे इस पटटे को रदकर देवें और उक्त लिखित ईमारत को फिर से पटटें पर दूसरे आदमी के नाम स्वीकृत कर देवें।

4- पटटेदारी उक्त लिखित भूमि को जब कभी पटटा देने वाले चाहे शान्ति पूर्वक छोड देवेंगा और यह ईकरार करता है कि जो कि कुछ लगान पिछला दे चुका हो या कोई मावजा उस क्षति के कारण जो कि उसकों इस जमीन के छोडने में हुआ हो उसको उसे पाने का अधिकार न होगा।

5- पटटधारी को एक माह की मियाद दी जायेगी जिसके अन्दर वे अपनी मिलकियत उठा सकता हैं अवधि समाप्त होने के पश्चात जो माल यथा स्थान पडा हुआ रह जाय वह सरकार की सम्पत्ति समझी जायेगी। जिसका पटटा देने वाले जिस तरह चाहे उस तरह उसका प्रयोग व विकय कर सकते है।

6- यदि कोई क्षति सरकारी भूमि या कोई दूसरी चीजों को जो पटटा देने वाले के अधिकार में हो पटटाधारी या उसके आदमियों से पहुँचे चाहे किसी कारण से हो उसका उत्तर दायित्व पटटाधारी पर होगा। क्षति की दशा में पटटाधारी को यह कीमत मावजै के रूप में देनी होगी। जिसको पटटा देने वाले निश्चित करेगें जो पचाय रूपये से अधिक नही होगी। और उनको यह भी अधिकार होगा कि वे इस पटटे को जिसका उल्लेख उक्त लिखित अनुच्छेद संख्या 1 में हो चुका है। भविष्य के लिऐ रद्द कर देवें।

7- पटटाधारी यह इकरार करता है कि जबकभी पटटा देने वाले इस जमीन को वापस मांगे व जितने समय के लिए उन्हे इसकी आवश्यकता हो तब तक यह जमीन सरकारी काम के लिए पटटा देने वाले के अधिकार में रहेगी।

8- यदि इस पटटे के किसी शर्त पर किसी प्रकार का झागडा पैदा हो जाये तो श्रीमान् कन्सरवेटर महोदय पश्चिमी वृत्त उ0 प्र0 नैनीताल का निर्णय अन्तिम समझा जायेगा।

9- वन विभागीय या दूसरे नियमों का उल्लघन करने पर पट्टाधारी या उसके कारिन्दे या उसके आदमी अदालती कार्यवाही से किसी भी दशा में बरी नही होंगे।

10- उक्त जमीन पर पट्टाधारी मन्दिर या अन्य पूजन घर न स्थापित करेंगे ना बनावेंगें।

11- यदि इस पटटे पर सरकारी टिकट लगाया गया तो पटटाधारी को उसकी कीमत देनी होगी।

इसके प्रमाण के रूप में श्रीमान् वनाधीश / लैन्सडौन वनखण्ड ने श्री राज्य पाल महोदय उ0 प्र0 की ओर से और पटटाधारी मैनेजर श्री परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश जिला देहरादून ने इस पट्टदान पर अपने -2 हस्ताक्षर लिखित दिन और वर्डस का कर दिए है।

ह0 पटटाधारी
दाउदयाल परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम परमार्थ निकेतन

वनाधीश लैन्सडौन वन खण्ड
ह0 राज्यपाल की और से

साक्षी 1- गोविन्द सिंह नेगी लक्ष्मणझूला गढ़वाल।

2- रमेश चन्द्र कोठियाल लक्ष्मणझूला गढ़वाल।

Sworn & Verified the Deponent Before me on 1-4-2019

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

क्र० सं० 67

फार्म IV

असली

1—नम्बर कापी D149019 2—रसीद नम्बर

3—ग्राम का नाम

4—देने वाले का व पिता का नाम

5—वसूली की तारीख

6—मौजा/खाता नम्बर 293/71

7—रकमें जो वसूल हुई (शब्दों व अंकों में) रु०—पै०—

रु०

8—किस बाबत

9—असीलों की तारीख 11-82-83

कूपन जो जमा किया गया

तारीख

कूपन प्राप्तकर्ता के पूरे हस्ताक्षर व पदवी

कूपन

1—नम्बर कापी D149019

2—रसीद नम्बर

3—ग्राम का नाम

4—देने वाले तथा पिता व कौम का नाम

5—तारीख वसूली

6—रकम, जो वसूल हुई (शब्दों व अंकों में)

7—कूपन के जमा करने की तारीख

8—कूपन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व पदवी

यह रसीद नहीं है

पी० एस० यू० पी०—09 ज० विनाश—10-8-'79—33,000 (जाब)।